

26.08.2020 पत्रावली पेश / वादी एक वादीगण अनुरूप स्थित

रुठ-रुठ-बुर तीन बार आवान लगवाई
गई बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं।
इससे प्रतीत होता है कि वादी एवं
वकील वादी अपने दावे को लेकर
गंभीर नहीं हैं अतः दावा अक्षय
हाजिरी अक्षय फैली में इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है पत्रावली ईमल
शुभार होकर नंबर से उभरी जाकर
दाखिल दफतर है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) सांचौर (जालोर)

